be put up in a Group Housing Complex on the given size of plot. While determining conversion fee in the case of ready built flats, the entire area of the complex divided by the number of units is taken into consideration and flat rate of conversion fee prescribed.

However, keeping in view the various representations, while allowing remission in conversion fee allottees/lessees of ready built flats have been put in an advantageous position by allowing remission of 33-1/3% as compared to 25% to allottees of properties.

In veiw of the above, no further concessions are under consideration of the Government.

मध्य प्रदेश में नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत योजना हेतु धनराशि

517. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्यों तथा योजनाओं का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उसके लिए वर्ष 1992-93 से वर्ष 1994-95 तक वर्ष-वार कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) उक्त धनराशि में से शहरी गरीबों/बेरोजगारों को लघु उद्यमों की स्थापना और शहरी मजदूरी पर आधारित रोजगार योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वर्ष-वार कितनी-कितनी धनराशि दी गई;

(ग) इनमें से जिला-वार कितने-कितने शहरी बेरोजगारों को लघु उद्यम स्थापित करने में सहायता दी गई और शहरी मजदूरी पर आधारित रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत कितने लोगों को लाभान्वित किया गया; और

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा जिले-वार अपने-अपने निर्धारित हिस्से की धनराशि प्रदान करने एवं व्यय किए जाने के संबंध में जिला-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटस्वरलू): (क) मध्य प्रदेश में नेहरू रोजगार योजना के तहत शहरी लघु उद्यमों की स्कीम (सूमे), शहरी मजदूरी रोजगार की स्कीम (सूवे) और आवास तथा आश्रय उन्नयन की स्कीम (सासू) कार्यान्वित की जा रही है। नेहरू रोजगार की इन स्कीमों के तहत मध्य प्रदेश को 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान क्रमशः 550.40 लाख रुपये, 684.48 लाख रुपये, और 595.03 लाख रुपये मुहैया कराये गये हैं।

(ख) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान शहरी लघु उद्यमों की स्कीम (सूमे) के लिए क्रमशः 391.92 लाख रुपये, 255.20 लाख रुपये और 345.13 लाख रुपये मुहैया कराये गये थे और वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान शहरी मजदूरी रोजगार की स्कीम (सूवे) के तहत क्रमशः 345.45 लाख रु० 207.70 लाख रुपये और 321.00 लाख रुपये मुहैया कराये गये थे।

(ग) और (घ) चूंकि इस स्कीम की निगरानी केन्द्र सरकार द्वारा की जा रही है अतः राज्यवार, जिलेवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

RBI Report on Integrated Rural Development Programme

518. SHRIMATI ANANDIBEN JETHABHAI PATEL: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether the Committee appointed by the Reserve Bank of India to look into the planning and implementation of Integrated Rural Development Programme has submitted its report;

(b) if so, the main recommendations made by the Committee and those accepted by Government; and

(c) the action taken or proposed to be taken by Government thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI CHANDRADEO PRASAD VARMA): (a) Yes, Sir.

(b) The main recommendations made by the Committee and those accepted by the Government are:—

(i) Greater involvement of Panchayati Raj Institutions in the implementation of the IRDP.